उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

नवाड़खेड़ा गौलापार, हल्द्वानी (नैनीताल) पिन–263126

☎ 05946–240555,240666,240777, टोल फ्री नं0– 1800-180-4099, E-Mail – hedegreebudget@gmail.com

पत्रांक : डिग्री बजट/आवंटन 5642 /2021–22 **दिनांक :** 05 जनवरी,2022

सेवा में,

प्राचार्य,

राजकीय महाविद्यालय,

.....

विषयः मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 423/2021 की प्रतिपूर्ति हेतु राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराये जाने हेतु महाविद्यालयों को धनराशि का आंवटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः **14/XXIV-C-2/2022/03(घो0)2021 दिनांक 04.01.2022** द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 423/2021 **''गर्वमेन्ट डिग्री कालेजों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जायेंगा''** के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में राजस्व पक्ष के अनुदान सं0–07 के लेखाशीर्षक 2245–80–800–02–कोविड आपदा हेतु सहायता योजना के 42–अन्य विभागीय व्यय मद में ₹ 1,26,00,00,000/– (₹ एक अरब छब्बीस करोड़ मात्र) की धनराशि निदेशक, उच्च शिक्षा के निर्वतन में रखने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराये जाने हेतु राजस्व पक्ष के अन्य विभागीय व्यय मद में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष **M.I.S** पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर अनुदान सं0–07 के लेखाशीर्षक 2245–80–800–02–कोविड आपदा हेतु सहायता योजना हेतु 105 राजकीय महाविद्यालयों हेतु ₹ 1,18,54,68,000/– (₹ एक अरब अट्ठारह करोड़ चौवन लाख अड़सठ हजार मात्र) का आवंटन महाविद्यालयवार आहरण वितरण कोड में एतद् द्वारा आवंटन किया जाता है। अपर मुख्य सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 183/**XXVII(I)**/2012, दिनांक 28 मार्च, 2012 के निर्देश के क्रम में बजट आवंटन इन्टरनैट के माध्यम से उपलब्ध साफ्टवेयर पर किया गया है।

<u>आवंटित की जा रही धनराशि के उपयोग हेतु आवश्यक निर्देश :–</u>

- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में व्यय की जायेंगी जिस हेतु यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का व्ययावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय एंव भुगतान हेतु जो भी बिल कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा उसमें अनुदान संख्या के साथ–साथ लेखाशीर्षक का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

क्रमशः.....2/–

- उक्त धनराशि शासनादेश निर्गत होने की तिथि (04.01.2022) तक महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की आंकलित संख्या के आधार पर निर्गत की जा रही है।

- टैबलेट्स के वितरण में पारदर्शिता के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेंगी, जिसमें सम्बन्धित जनपद के विभागीय नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा पी0टी0ए0 अध्यक्ष सम्मिलित होगें। इस सम्बन्ध में प्राचार्य शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

- उक्त समिति का दायित्व होगा कि योजना की प्रगति का सत्त रूप से अनुश्रवण किया जायेगा जिसके अन्तर्गत i) क्रय किये गये टैबलेटों की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना ii) सम्बन्धित छात्र द्वारा टैबलेट क्रय का वाउचर निश्चित समयावधि में प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि उक्त समिति द्वारा चयनित/संस्तुत छात्रों को उनके बैंक खातों डी0बी0टी0 के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।

- महाविद्यालय स्तर पर योजना का लाभ लिए गये छात्रों का विवरण रखा जायेगा, जिसे शैक्षणिक सत्र के अन्त में निदेशालय को उपलब्ध कराते हुए विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड किया जायेंगा।

- छात्रों द्वारा नवीनतम मॉडल एवं गुणवत्ता के टैबलेट क्रय किये जायेगे। इसके लिए टैबलेट के न्यूनतम विनिर्देश (Specification), Ministry of Electronics and Information Technology (Meity) द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देश दिनांक 27.08.2021 के अनुरूप मुख्यतः इस प्रकार हैः– Display – 8 inch or more (TFT Capative, Multi touch) , Operation System – Android 10 or equivalent, processor – Quad core (Processor Speed 1.8 ghz or more), Ram- 2 GB or more, Internal Memory – 32 GB or more, wifi, Bluetooth, Connectivity 4G/LTE Voice 3G/2G, Protective Glass, Cover case etc.

- छात्रों द्वारा उपरोक्त इंगित विशिष्टियों युक्त टैबलेट क्रय किया जाना अनिवार्य है। क्रय मूल्य तथा स्वीकृत धनराशि ₹ 12,000/– में जो कम हो, वही अनुमन्य होगा।

क्रमशः.....3/–

यहॉ यह भी अवगत कराना है कि महाविद्यालयों को आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण करने से पूर्व प्रत्येक महाविद्यालय अपने महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों को शासनादेश निर्गत होने की तिथि 04.01.2022 तक की वास्तविक गणना करने के उपरान्त ही उतनी ही धनराशि आहरित करना सुनिश्चित करें तथा यदि धनराशि अवशेष हो रही हो तो उस धनराशि को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा साथ ही प्राचार्य/आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र सूची सहित उपलब्ध कराया जाना होगा कि अपने महाविद्यालय में 04.01.2022 तक अध्ययनरत् समस्त छात्रों को टैबलेट हेतु धनराशि वितरण कर दी गयी है।

महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराये जाने हेतु आवंटित की जा रही धनराशि का अनावश्यक व्यय न किया जायं अनावश्यक व्यय किये जाने पर सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/आहरण वितरण अधिकारी स्वंय उत्तरदायी होगे।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–02–कोविड आपदा हेतु सहायता योजना के सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

वित्त नियंत्रक (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पृ0सं0 :डिग्री–बजट/आवंटन/5642-46 /2021–22 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर, चम्पावत, गोपेश्वर, हल्द्वानी, कोटद्वार, लैन्सडाउन, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, नई टिहरी, नरेन्द्र नगर, रूद्रप्रयाग, देहरादून, रूड़की, गढ़वाल।
4– कोषाधिकारी, अगस्त्यमुनि, अस्कोट, बड़कोट, बाजपुर, बेरीनाग, विकासनगर, द्वाराहाट, देघाट, धारचूला, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, काशीपुर, खटीमा, लोहाघाट, लमगड़ा, मौलेखाल, पुरौला, रामनगर, रानीखेत, ऋषिकेश, सतपुली, थराली, धारी, दुण्डा, भिकियासैंण, गरूण, चकराता, त्यूनी, चौखुटिया, दन्या, देवप्रयाग, धुमाकोट, गैरसैंण, घनसाली, गंगोलीहाट, जखोली, कालाढूंगी, कपकोट, काण्डा, लक्सर, मुनस्यारी, प्रतापनगर, पोखरी, थलीसैंण, थत्यूड़, नैनबाग, टनकपुर, सोमेश्वर, थल, सितारगंज, घाट, पाटी, गणाई गंगोली, बेतालघाट, किच्छा, जसपुर, नारायणबगड़।
5– कार्यालय प्रति।

O/C

वित्त नियंत्रक (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

संख्याः 14 /XXIV-C-2/2021/03(घो0)2021

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

बजट

5/1/2022

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 5 जनवरी, 2022

विषय– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 423/2021 की प्रतिपूर्ति हेतु राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 423/2021 **"गर्वमेन्ट डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा"** की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत वर्तमान में राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् लगभग 1.05 लाख छात्रों को टैबलेट्स उपलब्ध कराए जाने हेतु डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रति छात्र ₹12,000/– की धनराशि उनके खाते में उपलब्ध कराए जाने हेतु कुल **₹126.00 करोड़ (₹ एक अरब छब्बीस करोड़ मात्र)** की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि नियमानुसार सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर रखी जाएगी तथा उसी मद में व्यय की जाएगी जिस हेतु स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का व्ययावर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. उक्त धनराशि शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की आंकलित संख्या के आधार पर निर्गत की जा रही है। वास्तविक छात्रों की संख्या में भिन्नता होने पर तत्काल शासन को अवगत कराया जाएगा तथा छात्र संख्या कम होने की स्थिति में अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार समर्पित की जाएगी।
3. टैबलेट्स के वितरण में पारदर्शिता के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें सम्बन्धित जनपद के विभागीय नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित महाविद्यालय/महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा पी0टी0ए0 अध्यक्ष सम्मिलित होंगे।
4. उक्त समिति का दायित्व होगा कि योजना की प्रगति का सतत् रूप से अनुश्रवण किया जाएगा जिसके अन्तर्गत i). क्रय किए गए टैबलेटों की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना ii). सम्बन्धित छात्र द्वारा टैबलेट क्रय का वाउचर निश्चित समयावधि में प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि उक्त समिति द्वारा चयनित/संस्तुत छात्रों को उनके बैंक खातों में डी0बी0टी0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
6. महाविद्यालय स्तर पर योजना का लाभ लिए गए छात्रों का विवरण रखा जाएगा, जिसे शैक्षणिक सत्र के अन्त में निदेशालय को उपलब्ध कराते हुए विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

7. उक्त योजना के प्रचार–प्रसार हेतु दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किए जाएं।
8. छात्रों द्वारा नवीनतम मॉडल एवं गुणवत्ता के टैबलेट क्रय किए जाएंगे। इसके लिए टैबलेट के न्यूनतम विनिर्देश (Specification), Ministry of Electronics and Information Technology (Meity) द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश दिनांकः 27.08.2021 के अनुरूप मुख्यतः इस प्रकार हैं– Display- 8 inch or more (TFT Capative, multi touch), operating system- Android 10 or equivalent, processor- Quad core (processor speed 1.8 GHz or more), RAM- 2 GB or more, Internal memory-32 GB or more, Wi-Fi, Bluetooth, Connectivity-4G/LTE Voice 3G/2G, Protective glass, Cover Case etc.
9. छात्रों द्वारा उपरोक्त इंगित विशिष्टियों युक्त टैबलेट क्रय किया जाना अनिवार्य है। क्रय मूल्य तथा स्वीकृत धनराशि ₹12,000/– में जो कम हो, वही अनुमन्य होगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245–80–800–02 की मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 281(म0)XXVII(3)/2021 दिनांकः 04 जनवरी, 2022 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : —— /XXIV-C-2/2021/03(घो0)2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून ।
6. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अनुभाग अधिकारी, मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
10. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनु0–3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

D:\sandeep\Ghoshna\draft.docx